एसओपी/ यूटीआई/ एमजीपीएसवाई_वी_1.0

महात्मा गांधी

प्रवासी

सुरक्षा

योजना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रिकार्ड रखने की प्रणाली (एमआरकेएस) के योजना साझेदार के रूप में यूटीआई के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया

.....

पंजीकरण एंव अंशदान

प्रस्तावना

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए), भारत सरकार (जीओआई) ने उत्प्रावसन जांच अपेक्षा (ईसीआर) वाले 17 देशों में अस्थायी कार्य अनुमति वाले पांच मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्टधारी और विदेश प्रवासित अथवा वैध अस्थायी रोजगार/ संविदा वाले वीजा पर विदेश प्रवास करने वाले प्रवासी भारतीय कामगारों को (क) उनकी वापसी और पुनर्वास हेतु बचत करने, (ख) उनके वृद्धावस्था पेंशन के लिए बचत करने (ग) स्वाभाविक मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने, समर्थ बनाने और सहायता करने का है। ईसीआर पासपोर्ट वाला कोई भी पुरूष या महिला प्रवासी भारतीय जिसकी आयु 18 और 50 के बीच हो और जो विदेश जाने की प्रक्रिया में हो अथवा जो रोजगार/ संविदा वीजा पर पहले ही विदेश प्रवास कर गया हो, इस योजना में शामिल होने का पात्र है।

एमजीपीएसवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमित उत्पादों को उनकी संस्थागत रचना के अनुरूप प्रयोग कर कार्यान्वित किया जाता है। एमजीपीएसवाई के अंतर्गत एक उपभोक्ता को (क) यूटीआई म्युचुअल फंड की निर्धारित योजना में निवेश के माध्यम से अपनी वापसी और पुनर्वास के लिए बचत करने (ख) एनपीएस लाइट के माध्यम से अपनी वृद्धावस्था के लिए बचत करने और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कवरेज अवधि के दौरान स्वाभाविक और दुर्घटना में मृत्यु के लिए जीवन बीमा प्राप्त करने का विकल्प होगा। तीन साझीदार योजनाएं निम्नवत् हैं:-

(1) एनपीएस लाइट (पीएफआरडीए)

(2) मासिक आय योजना (यूटीआई)

(3) आम आदमी योजना, पूर्व में जनश्री बीमा योजना (एलआईसी)

एमजीपीएसवाई की रिकार्ड रखने की प्रणाली से एमजीपीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु मुख्य आईटी अवसंरचना प्राप्त होगी इसलिए यह इस परियोजना के सफल परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में शामिल मुख्य पणधारक को एमआरकेएस में पंजीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मुख्य पणधारक के उसकी विशेष पंजीकृत संख्या से पहचाना जाएगा। यह दस्तावेज एमआरकेएस से जुड़े

उनके क्रियाकलापों के संबंध में एक योजना साझेदार के रूप में यूटीआई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

यूटीआई की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

एमजीपीएसवाई में एक योजना साझेदार के रूप में यूटीआई पर एमआरकेएस से पंजीकरण ब्यौरे को डाउनलोड करने और एमआरकेएस के लिए पीएलआईएफ आईडी के साथ एनएवी एवं यूनिट ब्यौरों को अपलोड करने की जिम्मेदारी होती है।

क. डाउनलोड संबंधी क्रियात्मकता:

एकबार यूटीआई के समूह खाते में निवेश हेतु उपभोक्ता के खाते से वसूली गयी राशि को अंतरण किए जाने के बाद बीपी एमआरकेएस को निधि पुष्टि फीड (एफसीएफ) को अपलोड करेगा। बाद में, एक पंजीकरण फाइल सृजित होगा जिसे यूटीआई द्वारा डाउनलोड किया जाना होता है।

यूटीआई को अपने डीएससी आधारित यूजर आईडी के साथ एमआरकेएस में लॉगइन कर पंजीकरण संबंधी ब्यौरा डाउनलोड करना होता है। एकबार यूटीआई के एमआरकेएस में लॉगइन करने के बाद एक स्वागत स्क्रीन सामने आएगा जिसे निम्न चित्र 1 में दर्शाया गया है-

(चित्र 1)

पंजीकरण संबंधी ब्यौरे के डाउनलोड करने के बाद बीपी को " डाउनलोड" मेनू के अंतर्गत "यूटीआई रिक्वेस्ट" उप मेनू को चयन करना होता है जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है।

(चित्र 2)

यूजर को "उक्त तिथि से" और "उक्त तिथि तक" डालना होता है और 'खोजें' पर क्लिक करना होता है। यह समयावधि 15 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि चित्र 3 में दर्शाया गया है। इस समयावधि के दौरान सृजित फाइलों के वापस लाया जाएगा।

(चित्र 3)

यूटीआई .एक्सएमएल फार्मेट में इसे डाउनलोड करेगा जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है। यह पूर्ण फाइल फार्मेट संलग्न